प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–04.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **40 वाहनों से मु0– 96,00 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

02 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सरवर पुत्र स्व0 राजा हुसैन नि0 वृन्दावन खैरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–125/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 03 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त– ज्ञान पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी मुंशीपुरवा मौजा चौदहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/19 धारा 498ए,304बी भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिनांक 30.04.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा वादी नान्हू पुत्र बाबूराम निवासी बेहटा थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी की पुत्री बुधना को को दहेज के लिये प्रताडित कर मार–पीट कर मार डाला था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था जिसमें कटराबाजार पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.05.2019 को उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलवा करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस बलवा करने के वांछित अभियुक्त अमरेश कुमार पुत्र कुवर यशपाल निवासी नचनी मौजा करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना करनैलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–173/19, धारा 147.149.323.504.506.427.452 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 26.04.2019 को थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत सकरौरा चौराहे पर गठबंधन प्रत्याशी चन्द्रदेव यादव के कार्यालय में तोडफोड की घटना प्रकाश में आयी थी। जिसके सम्बन्ध में चन्द्रदेव यादव द्वारा थाना को0 करनैलगंज में 03 नामजद व 50–60 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त अमरेश कुमार को आज दिनांक 04.05.2019 को उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।